

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(4)-2014-सात-शा. 2ए.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के लिए कलेक्टरों को उनके अपने-अपने जिले के भीतर प्रत्येक परियोजना के संबंध में एक सात सदस्यीय पृथक् विशेषज्ञ समूह गठित करने हेतु प्राधिकृत करती है;

(1) प्रत्येक विशेषज्ञ समूह में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

- (क) कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अशासकीय सामाजिक विज्ञानी ;
- (ख) प्रभावित क्षेत्र में की ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगरपालिक निगम से कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट दो प्रतिनिधि, जिनमें से एक महिला होगी ;
- (ग) कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट दो पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ ; तथा
- (घ) अपेक्षक निकाय के परामर्श से कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट, परियोजना से संबंधित विषय में एक तकनीकी विशेषज्ञ.

(2) कलेक्टर, विशेषज्ञ समूह के सदस्यों में से किसी व्यक्ति को समूह के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. एफ 16-15-(4)-2014-सात-शा. 2ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(4)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 29th September 2014

No. F 16-15-(4)-2014-VII-Sec. 2A.—In exercise of

the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, authorises, the Collectors for constituting an Expert Group separately in respect of each project, having seven members, within their respective Districts for evaluating the Social Impact Assessment report;

(1) Each Expert Group shall consist of the following members :—

- (a) two non official social scientists nominated by the Collector ;
- (b) two representatives, one shall be a woman amongst them, of Gram Panchayat, Municipality or Municipal Corporation nominated by the Collector from the affected area ;
- (c) two experts on rehabilitation nominated by the Collector ; and
- (d) a technical expert in the subject relating to the project nominated by the Collector in consultation with the requiring body.

(2) The Collector shall nominate a person from amongst the members of the expert group as a chairperson of the group.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2014

क्र. एफ 1-8-2013-सात-शा. 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से भिण्ड जिले की तहसील गोहद की सीमाएं, उसमें से राजस्व वृत्त देहगांव के पटवारी हल्का क्रमांक 61 से 92 (32 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है तथा राजस्व वृत्त देहगांव के पटवारी हल्के क्रमांक 61 से 92 (32 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील मौ का सृजन करती है, जिसमें कुल 32 पटवारी हल्के तथा 84 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय मौ में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2014

क्र. एफ 1-8-2013-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-8-2013-सात-शा. 6., दिनांक 30 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 30th September 2014

No. F 1-8-2013-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of Tehsil **Gohad** of District **Bhind** from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halkas No. 61 to 92 (32 Patwari Halkas) of Revenue Circle **Dehgaon** and create a new tehsil **Mau** by comprising of Patwari Halkas No. 61 to 92 (32 Patwari Halkas) of Revenue Circle **Dehgaon** in which the total Patwari Halkas shall be 32 village shall be 84. The headquarter of the said Tehsil shall be at **Mau**.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2014

क्र. एफ 1-6-2013-सात-शा. 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ग्वालियर जिले की तहसील ग्वालियर की सीमाएं, उसमें से, राजस्व वृत्त रेहट के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 07 (7 पटवारी हल्के), राजस्व वृत्त मोहना के पटवारी हल्का क्रमांक 8 से 14 (7 पटवारी हल्के), राजस्व वृत्त घाटीगांव के पटवारी हल्का क्रमांक 15 से 22 (8 पटवारी हल्के), राजस्व वृत्त बरई के पटवारी हल्का क्रमांक 23 से 31 (9 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है तथा राजस्व वृत्त रेहट के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 7 (7 पटवारी हल्के), राजस्व वृत्त मोहना के पटवारी हल्का क्रमांक 8 से 14 (7 पटवारी हल्के), राजस्व वृत्त घाटीगांव के पटवारी हल्का क्रमांक 15 से

22 (8 पटवारी हल्के) तथा राजस्व वृत्त बरई के पटवारी हल्का क्रमांक 23 से 31 (9 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए एक नई तहसील घाटीगांव का सृजन करती है, जिसमें कुल 31 पटवारी हल्के तथा 95 ग्राम होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय घाटीगांव में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2014

क्र. एफ 1-6-2013-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-6-2013-सात-शा. 6, दिनांक 30 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण तिवारी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 30th September 2014

No. F 1-6-2013-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of Tehsil **Gwalior** of District **Gwalior** from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halkas No. 01 to 07 (07 Patwari halkas) of Revenue Circle Rehat, Patwari Halkas No. 8 to 14 (7 Patwari Halkas) of Revenue Circle Mohana, Patwari Halkas No. 15 to 22 (8 Patwari Halkas) of Revenue Circle Ghatigaon and Patwari Halkas No. 23 to 31 (9 Patwari Halkas) of Revenue Circle Barai and create a new tehsil Ghatigaon by comprising of Patwari Halkas No. 1 to 7 (7 Patwari Halkas) of Revenue Circle Rehat, Patwari Halkas No. 8 to 14 (7 Patwari Halkas) of Revenue Circle Mohana, Patwari Halkas No. 15 to 22 (8 Patwari Halkas) of Revenue Circle Ghatigaon and Patwari Halkas No. 22 to 31 (9 Patwari Halkas) of Revenue Circle Barai in which the total Patwari Halkas shall be 31 and village shall be 95. The headquarter of the said Tehsil shall be at Ghatigaon.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ARUN TIWARI, Principal Secy.

भोपाल दिनांक 21 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ.1-7/2017/सात/शा. 6 ----- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से भिण्ड जिले की तहसील गोहद तथा तहसील मौ की सीमाएं, भिण्ड जिले की विद्यमान तहसील मौ के पटवारी हल्का क्रमांक 61 एवं 62 को अपवर्जित करते हुए, तथा उन्हें तहसील गोहद में समाविष्ट करते हुए, परिवर्तित करती है। इस प्रकार तहसील मौ में कुल 30 पटवारी हल्के, जिनमें 80 ग्राम होंगे तथा तहसील गोहद में कुल 62 पटवारी हल्के, जिनमें 140 ग्राम होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना, अपर सचिव.

भोपाल दिनांक 21 दिसम्बर 2018

पृ. क्रमांक एफ.1-7/2017/सात/शा. 6-- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-7/2017/सात/6 दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना, अपर सचिव.

Bhopal dated 21th December 2018

No. F 1-7/2017/VII/6----- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of Tahsil Gohad and Mao of Bhind District from the date of publication of this order in the Gazette by excluding the patwari halka No. 61 and 62 of the existing Tahsil Mao and comprising it into existing Tahsil Gohad of Bhind District. Therefore the tahsil Mao shall comprised of 30 Patwari Halkas and 80 villages and tahsil Gohad shall comprised of 62 Patwari Halkas and 140 villages.

By Order and in The name of the Governor of Madhya Pradesh,
Anurag Saxena, Dy. Secy.